संख्या–1494/नौ–7–2023–41(ज)/2021

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 04 सितंबर, 2023**

विषयः नगरीय निकायों द्वारा संचालित कान्हा गौशाला में संरक्षित गोवंशों को गोद लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि नगरीय क्षेत्रों में सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर निराश्रित/ बेसहारा गोवंश के विचरण से निकाय की अवस्थापना सुविधाओं को होने वाले नुकसान एवं जनसामान्य को होने वाली असुविधा तथा गोवंशों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिये निराश्रित/बेसहारा गोवंश के पुनर्वासन हेतु कान्हा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। उक्त गौशालाओं का संचालन निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों एवं आवश्यकतानुसार शासन से प्राप्त अनुदान के माध्यम से किया जाता है।

2. उपर्युक्त गौशाला में रखे गये गोवंशों के भरण–पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार हेतु गौशाला की आय सृजन के लिये गोमय उत्पादों यथा बायो गैस कम्पोस्ट खाद, गोमूत्र, सप्त गव्य, गोकाष्ठ इत्यादि के उत्पादन एवं विक्रय के साथ ही निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी हैंः–

(1) गौशाला में रखे गये गोवंशों के भरण–पोषण हेतु गोवंश को गोद लियें जाने के विषयगत जागरूकता अभियान चलाया जाये।

(2) नगरीय निकाय में 'पहली रोटी गाय को और आटे का चोकर गाय को' अभियान चलाया जाये। सप्ताहन्त या सुविधानुसार निकाय के निवासियों से रोटी/चोकर को एकत्र की जानी चाहिए।

(3) गौशाला में गोवंश के पोषण हेतु "गौ–ग्रास सेवा योजना" प्रारंभ की जा सकती हैं तथा गो प्रेमियों को उक्त की मासिक/वार्षिक सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। "गौ–ग्रास सेवा योजना" के अन्तर्गत ₹ 600/– प्रति माह या ₹ 7200/– प्रतिवर्ष का शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। उक्त योजना से प्राप्त धनराशि से गोवंश हेतु गुड़, सेंधा नमक, चोकर, हरा चारा इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी।

(4) गौशाला में प्रति गोवंश के भरण–पोषण हेतु चारे पर आने वाले मासिक व्यय को ध्यान में रखते हुये प्रति गोवंश ₹ 900/– प्रति माह या ₹ 11000/– प्रतिवर्ष का भुगतान कर गोवंश को गोद लेने हेतु गो प्रेमियों को प्रेरित किया जा सकता है।

(5) नगरीय निकायों के अधिकारी/कर्मचारी/अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारी/गो प्रेमी द्वारा गौ–ग्रास सेवायोजना की सदस्यता या गोवंश को गोद लिया जा सकता है। उक्त सदस्यों को परिचय पत्र उपलब्ध कराते हुये उन्हें गौशाला में भ्रमण करने/तथा गोवंशों के निरीक्षण करने हेतु अनुमति दी जाये।

(6) व्यक्ति/संस्था/व्यापार मण्डल/हॉस्पिटल/होटल/निकाय के गणमान्य व्यक्तियों/ सी.एस.आर. फंड इत्यादि के माध्यम से गौशाला के संचालन हेतु आवश्यक एवं गौशाला के उपयोगार्थ वस्तु/उपकरण/संयंत्र तथा गोवंशों के आहार हेतु भूसा, हरा चारा, गुड़ इत्यादि की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(7) प्रत्येक गौशाला में गौ ग्रास सेवा योजना, गोवंश को गोद लिये जाने विषयक सदस्यता, व्यक्ति/संस्था/व्यापार मण्डल/हॉस्पिटल/होटल/निकाय के गणमान्य व्यक्तियों/ सी.एस.आर. फंड इत्यादि से प्राप्त आय का अभिलेखीकरण हेतु एक पृथक रजिस्टर बनायी जाय तथा उक्त रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन किया जाय।

3. इस संबंध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त अपेक्षा के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।